



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मेसर्स गल्फ आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर द्वारा रायपुर जिले के रायपुर वन मंडल अंतर्गत तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम भेलारी में मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन 4.00 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार तथा मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण वर्ष 1980 के पूर्व किये जाने के कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होने के फलस्वरूप भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गार्ड लाईन दिनांक 29.01.2018 के अनुसार आवेदक संस्थान पर पेनाल्टी लगायी जाने की शर्त पर अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 03/08/2018

स्थान: नया रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, रायपुर